UPBJ010082642023

न्यायालय Special Judge (SC/ST) Act, Bijnor

पीठासीन अधिकारी– (Sri Avdhesh Kumar), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06074**

जमानत प्रार्थना पत्र सं0 2575/2023

दिनांक 28–07–2023

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त जुनैद पुत्र अख्तर निवासी मुबारकपुर मीरा भनेडा थाना किरतपुर, जिला बिजनौर की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मु0अ0स0 320/2023 धारा 354,323,504 भा0द0स0 व धारा 3(2)5क एस.सी./एस.टी. एक्ट थाना किरतपुर, जनपद बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जो शपथ पत्र मौ0 अख्तर से समर्थित हैं।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। वादी सूचना प्राप्त सोने के बाबजूद न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा राखी ने इस आशय की प्राथमिकी दर्ज कराया कि उसकी उम्र 19 वर्ष है। दिनॉक 19.07.2023 को अपनी छोटी बहन ऑचल के साथ बुध बाजार भनेडा में सामान खरीदने के लिए गई थी। समय करीब 7:30 बजे मेरे साथ मेरे ही गॉव के जुनैद ने मेरी कमर पर हाथ मारा व अश्लील हरकत की तब मैंने उसका विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट व गाली गलौच कर भाग गया। वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर में प्राथमिकी मु0अ0स0 320/2023 अन्तर्गत धारा 354,323,504 भा0द0स0 पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 3(2)5क एस0सी0/एस0टी0 एक्ट की वृद्धि की गई।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थी निर्दोष है। उसे गलत तौर से झूॅठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्राथमिकी बिलम्ब से लिखायी गई है जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उसके खिलाफ लगाये गये आरोप झूॅठे एवं निराधार है। प्रस्तुत प्रकरण में कोई आघात आख्या केस डायरी में मौजूद नहीं है। उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। उसे गॉव की पार्टीबन्दी की बिना पर झूॅठा फंसाया गया है। प्रार्थी उचित जमानत देने को तैयार है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त ने अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा की कमर पर हाथ मारकर उसके साथ अश्लील हरकते

Digitally signed by AVDHESH KUMAR
Date: 2023.07.28 16:00:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करते हुए मारपीट की गई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अनुसूचित जाति की वादिनी मुकदमा के साथ अश्लील हरकते करते हुए जाति सूचक गालियॉ देते हुए मारपीट किए जाने का आरोप है। परन्तु पीडिता की कोई आघात आख्या केस डायरी में उपलब्ध नहीं है। अभियुक्त दिनॉक 21.07.2023 से जिला कारागार में निरूद्व है। अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टिप्पणी किए बिना अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त जुनैद पुत्र अख्तर का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त के द्वारा 25,000/–हजार रूपये की धनराशि के दो जमानती तथा समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

(अवधेश कुमार)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) एक्ट
बिजनौर।